माननीय सभापति द्वारा विदाई उद्गार

(राज्य सभा का 253वां सत्र)

श्री सभापतिः माननीय सभा के नेता, श्री थावरचन्द गहलोत, सम्मानित विपक्ष के नेता, श्री मल्लिकार्जुन खरगे, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, सभा में विभिन्न दलों और समूहों के माननीय नेतागण एवं माननीय सदस्यगण।

हम आज राज्य सभा के 253वें सत्र का समापन कर रहे हैं। यह संसद का दूसरा सत्र था जिसे महामारी के साये में आयोजित किया गया है, जिसमें कोविड से संबंधित सभी प्रोटोकॉल और एक सुरक्षित वातावरण में सत्र का संचालन करने हेतु पिछले मानसून सत्र के दौरान विकसित की गई मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सभी सदस्यों के सहयोग से हम इस सभा के कार्य को सुचारू रूप से चला पाए।

माननीय सदस्यगण, इस महती सभा के सभापति के रूप में, मैं इस सत्र के दौरान सभा के कार्य-निष्पादन का एक संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगा।

जैसा कि आप जानते हैं, संसद के इस बज़ट सत्र को निर्धारित समय से पहले अनियत तिथि के लिए स्थगित किया जा रहा है। 29 जनवरी से 8 अप्रैल तक निर्धारित कुल 33 बैठकों की तुलना में, हम **23** बैठकें करने के बाद समापन कर रहे हैं। इस बज़ट सत्र में इस सभा के सदस्यों को विशेष रूप से कोविड के बाद आर्थिक विकास और आर्थिक बहाली से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के अवसर मिले हैं।

माननीय सदस्यगण, इस सभा ने इन **23** बैठकों के दौरान **116** घंटे और **31** मिनट के कुल निर्धारित समय की तुलना में कुल **104** घंटे और **23** मिनट तक कार्य किया। वस्तुतः इसका अर्थ यह है कि इस बज़ट सत्र के दोनों हिस्सों सहित सभा की उत्पादकता **लगभग 90** प्रतिशत रही है। जहां 29 जनवरी से 12 फरवरी तक इस सत्र के पहले भाग की उत्पादकता 99.06 प्रतिशत रही है वहीं 8 मार्च को शुरू हुए दूसरे भाग की उत्पादकता **लगभग 85** प्रतिशत है।

इस सत्र के दौरान व्यवधानों के कारण सभा के कुल **21** घंटे और **26** मिनट का समय नष्ट हुआ है। हालाँकि, इस बात से सुकून मिलता है कि इस नष्ट समय के मुकाबले, विधायी कार्यों और अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए सभा की बैठक निर्धारित समय से परे कुल **14** घंटे और **28** मिनट तक चली।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जून 2019 के बाद से पिछले चार सत्रों के दौरान अर्थात 249वें, 250वें, 251वें और 252वें सत्र के दौरान उच्च उत्पादकता देखी गई जो इस सत्र (253वें) में भी जारी रही। नतीजतन, पिछले चार सत्रों और इस सत्र की कुल उत्पादकता **लगभग 94** प्रतिशत है। मैं आप सभी से इस वर्ष के दौरान और साथ ही भविष्य में सभा के कार्यकरण में इस सकारात्मक गति को बनाए रखने की अपील करता हूँ। हमें शतप्रतिशत उत्पादकता हासिल करने की दिशा में यह जानते हुए प्रयास करने की ज़रूरत है कि हम असाधारण परिस्थितियों में काम कर रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि इस महती सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और केंद्रीय बज़ट 2021-22 पर भावपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण बहस और चर्चा हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चार दिनों के दौरान चर्चा 15 घंटे और 37 मिनट की अवधि तक हुई जिसमें 50 सदस्यों ने भाग लिया। केंद्रीय बज़ट पर तीन दिनों के दौरान 10 घंटे और 43 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें 45 सदस्यों ने भाग लिया। यह ध्यान देने योग्य है कि 4 और 5 फरवरी को शून्य काल, 3 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी को प्रश्नों के समय और 5 फरवरी को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को स्थगित कर दिया गया जिससे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए और अधिक समय दिया जा सके।

माननीय सदस्यगण, जहां तक विधायी कार्य निपटाये जाने का संबंध है तो इस सभा ने विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर विचार/इन्हें लौटाए जाने सहित **19** विधेयकों को पारित किया है। इन सरकारी विधेयकों पर चर्चा हेतु **34** घंटे और **04** मिनट का समय लगा है जो विधायी कार्य में लगे सभा के कुल कार्यात्मक समय का **लगभग 42** प्रतिशत है। विधेयकों पर चर्चा में पूरे **199** सदस्यों ने

भाग लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सत्र के दौरान पारित कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में - जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021, महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020, गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2019, बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021, आदि शामिल हैं।

माननीय सदस्यगण, जल शक्ति; रेलवे; और पर्यटन नामक तीन महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यकरण पर 11 घंटे और 13 मिनट तक चर्चा हुई है जो सभा के कुल कार्यात्मक समय का लगभग 11 प्रतिशत है। इकसठ सदस्यों ने इन मंत्रालयों के कार्यकरण पर हुई चर्चा में भाग लिया।

सदस्यों ने शून्य काल के **163** उल्लेखों और **110** विशेष उल्लेखों के माध्यम से अविलंबनीय लोक महत्व के कुल **273 मुद्दों** को उठाया। इस सत्र के दौरान किए गए शून्य काल के मामलों और विशेष उल्लेखों में विविध महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें महिलाओं और बच्चों में कुपोषण; महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के लिए त्वरित विचारण के लिए और अधिक न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता; महामारी के दौरान बढ़ते बाल विवाह; कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों को पेश आ रही समस्याएं; दिव्यांग व्यक्तियों के बुनियादी मानवाधिकार, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन, आदि शामिल हैं।

प्रश्नों के संबंध में, कुल **113** तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया है जो सूचीबद्ध **329** तारांकित प्रश्नों का **34** प्रतिशत है। इन तारांकित प्रश्नों के माध्यम से सरकार से जवाब मांगने में ग्यारह घंटे और 50 मिनट का समय लगा है।

मंत्रियों ने 'उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन', 'पूर्वी लद्दाख की वर्तमान स्थिति', 'कोविड की स्थिति में विदेशों में भारतीयों, अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित हाल के घटनाक्रम', 'भारत की टीका मैत्री पहल' और 'वाहन स्क्रैपिंग नीति' जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वक्तव्य दिए।

माननीय सदस्यगण, सत्र के मध्यावकाश के दौरान, राज्य सभा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आठ विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की जांच की और इस संबंध में **28** प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इसके अलावा, इन समितियों ने की गई कार्रवाई संबंधी **21** प्रतिवेदन, **6** प्रतिवेदन उनके द्वारा उठाए गए विषयों पर और **2** प्रतिवेदन उन्हें सौंपे गए विधेयकों पर, प्रस्तुत किए। मैं समितियों के कार्यकरण में सुधार की दिशा में राज्य सभा की आठ विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता हूँ। तथापि, सदस्यों की कम उपस्थिति और बैठकों की अवधि जैसे कुछ चिंता वाले क्षेत्र हैं जिनमें और सुधार की आवश्यकता है। मैं सभी दलों के नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वे संसद की ओर से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमारी संसदीय प्रणाली में समितियों के कार्य के महत्व और प्रासंगिकता को देखते हुए उसे गंभीरता से लेने के प्रति अपने सदस्यों को संवेदनशील बनाएं। मेरा दलों के नेताओं को उनके सदस्यों की उपस्थिति के बारे में अवगत कराए जाने का विचार है जिससे कि वे स्थिति का जायजा ले सकें और इस संबंध में सदस्यों को सलाह दे सकें।

माननीय सदस्यगण, नवनिर्वाचित/नामनिर्देशित सदस्यों को संसद, विशेष रूप से राज्य सभा, के कार्यकरण को संचालित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए राज्य सभा सचिवालय द्वारा 13 और 14 मार्च को एक विषय बोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इसके प्रति सदस्यों की उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया रही क्योंकि 71 नए सदस्यों में से माननीय विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर सहित 34 सदस्यों ने इसमें

भाग लिया। मुझे यह भी बताया गया है कि सदस्यों ने इस कार्यक्रम की सामग्री और संचालन की अत्यंत सराहना की। मैं इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए महासचिव और उनके अधिकारियों की सराहना करता हूँ।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने पहले भी सभा में उल्लेख किया है, हम अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए सरकार ने इसे 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मनाने की योजना बनाई है जिसके तहत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। यद्यपि यह विशेष अवसर हम सभी को और देश के नागरिकों को उन मूल्यों और आदर्शों को संजोने का अवसर प्रदान करता है जिनके पक्षधर हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और जिनसे हमारे देश को औपनिवेशिक शासन से आज़ादी प्राप्त करने में मदद मिली तथापि यह हमारे विधानमंडलों और उनके सदस्यों के कार्यकरण पर गंभीर आत्मनिरीक्षण का आह्वान भी करता है। लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बहस एवं चर्चा और उच्च आचरण की अपेक्षा करते हैं। संसद सदस्यों को लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लगन से और प्रभावी ढंग से काम करना होगा। वरिष्ठों की सभा के रूप में, राज्यसभा को अन्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। हमारी जिम्मेदारियां और भी अधिक गंभीर हो गई हैं, विशेष रूप से कोविड-19 वैश्विक महामारी की चुनौतियों के संदर्भ में, जिसके लिए सभी हितधारकों द्वारा दृढ़प्रतिज्ञ और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं को पूरी तरह से उजागर करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठा रही है और उसने 'आत्मनिर्भर भारत' का निर्माण करने का आह्वान किया है। लोगों को वैश्विक महामारी, अर्थव्यवस्था के पुनरूत्थान और समावेशी विकास के एजेन्डे से संबंधित मुद्दों पर बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हम सभी से भारी अपेक्षाएं हैं। अत: हमें 'बहस, चर्चा और निर्णय लेने' के मंत्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए और व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इस चुनौतीपूर्ण समय में यही एकमात्र रास्ता है। यह हमारे संसदीय संस्थाओं के प्रति लोगों के भरोसे और विश्वास को बनाए रखने और देश में लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रगाढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय सदस्यगण जैसा कि आप जानते हैं, हम

सभी संबंधितों के समन्वित प्रयासों से देश में इस वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने में सक्षम रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत कई देशों को टीकों की लाखों खुराक की आपूर्ति करके विभिन्न देशों के टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालाँकि, कुछ राज्यों में कोविड-19 मामलों में उछाल आया है जो हम सभी के लिए चिंता का कारण है। मैंने सभी सदस्यों से इस संबंध में एक अपील भी की थी कि आप इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करने में लोगों का मार्गदर्शन करें। जन प्रतिनिधि के रूप में, संसद सदस्यों से अपेक्षित है कि वे राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के लिए आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहें। चूंकि टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है तो मैं आप सभी से यह भी अपील करता हूँ कि, जो पात्र हैं, वे टीका लगवाएं और यह भी देखें कि पात्र लोग टीका लगवाने के लिए स्वेच्छा से आगे आएं। टीकाकरण के बाद भी हमें इस वायरस के खिलाफ अपने सुरक्षोपाय कम नहीं करने चाहिए। प्रधान मंत्री ने लोगों को लापरवाही से सचेत करते हुए और कोविड-19 से बचाव के सभी उपाय करते रहने की याद दिलाते हुए ठीक ही कहा है, 'दवाई भी, कड़ाई भी'।

माननीय सदस्यगण, इस वर्तमान वैश्विक महामारी ने हम सभी को डिजिटल संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग के साथ इस नई स्थिति के साथ अनुकूलन हेतु नए तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर किया है। इस बार, जैसा कि आप जानते हैं, बज़ट दस्तावेजों और आर्थिक सर्वेक्षण की केवल डिजिटल प्रतियां सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराई गईं। सदस्यों ने हाथों से कागजातों की संभलाई और सचिवालय कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क से बचने के लिए विभिन्न संसदीय कार्यों हेतु अपने नोटिस 'ई-नोटिस पोर्टल' के माध्यम से जमा करना जारी रखा। इस सत्र में सदस्यों की सुविधा के लिए संसदीय पत्र भी 'सदस्यों के लॉगिन पोर्टल' पर उपलब्ध कराए गए थे। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सदस्यों ने विभिन्न संसदीय कार्यों के लिए नोटिस भेजने हेतु 'ई-नोटिस' की सुविधा का उपयोग किया है क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से **9,862** नोटिस उनसे प्राप्त हुए थे। मैं आप सभी से इस ऑनलाइन सुविधा का यथासंभव अधिकतम उपयोग करने का

आग्रह करता हूँ ताकि हम इस नई व्यवस्था से स्वयं को अनुकूलित कर सकें।

मैं इस अवसर पर सभा के नेता, विपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं और माननीय सदस्यों को सभा के समग्र कार्यकरण में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। सभा के बेहतर कार्यकरण का श्रेय सभापति को नहीं जाता, यह सभी सदस्यों को जाता है। आपके सहयोग से ही यह संभव हुआ है। इसलिए, आपके पास यह बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम सभी मानकों का पालन करें और दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें।

अंत में, मैं सभा की कार्यवाही के निर्बाध संचालन के लिए उपसभापति, श्री हरिवंश और उपसभाध्यक्षों के पैनल के सदस्यों को विशेष धन्यवाद देता हूँ। मैं सत्र का सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित करने में उनके अथक प्रयासों के लिए महासचिव और उनके मेहनती और प्रतिबद्ध अधिकारियों तथा कर्मचारियों और संसद सुरक्षा सेवा की सराहना करता हूँ। मैं आप सभी को तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का द्योतक उगादी के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। वास्तव में, यह त्योहारों का समय है जब देश भर में कई लोग नव वर्ष में प्रवेश करते हैं। कुछ दिन पहले, हमारे पारसी भाइयों ने नव वर्ष, 'नवरोज़' का स्वागत किया। सिंधी भाई और बहन जल्द ही 'चेती चांद' के रूप में नव वर्ष का स्वागत करेंगे, जबकि तेलुगु भाषी दो राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग इसे 'उगादी' कहते हैं और हमारे पड़ोसी कर्णाटक में भी इसे 'उगादी' कहा जाता है। महाराष्ट्र के लोग इसे 'गुड़ी पड़वा' के रूप में मनाते हैं। तमिलनाडु में, यह 'पुथांडु' के रूप में मनाया जाता है जो 14 तारीख को आ रहा है। हमारी मलयाली बहनें और भाई इस अवसर को केरल में 'विशु' के रूप में मनाते हैं। पंजाब में, हमेशा की तरह, उनका 'वैसाखी' का त्योहार है। ओडिशा में, इसे 'पाना संक्रांति' कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल में नव वर्ष को 'पहेला बोइशाख' के रूप में मनाया जाता है। 'बोहाग बिहू' असम में नव वर्ष की शुरुआत है। इसके नाम अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन हर्षोल्लास, आशा और भाईचारे की भावना सभी में बराबर है। हमारा 'गुड फ्राइडे' भी है जो आ रहा है और

'राम नवमी' भी आ रही है। आने वाले कुछ दिनों में 'महावीर जयंती', 'ईद-उल-फितर' और 'बुद्ध पूर्णिमा' भी आएगी।

मैं संसद टीवी सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सभा की कार्यवाही में उनकी निरंतर रुचि और लोगों तक उनके प्रसारण के लिए बधाई देता हूँ। मैं एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने आज शुभकामनाएं भेज दी हैं क्योंकि हम 14 अप्रैल और उसके बाद यहां नहीं होंगे। इसलिए, आपकी अपनी-अपनी मातृभाषा में आपके स्थानों पर शुभकामनाएं भेज दी गई हैं। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ।

धन्यवाद!
जय हिन्द!